

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- ६॥ / ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(११)-2014
लखनऊ:दिनांक 12 जून, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 12 जून, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 3 एवं 4(ख) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	नि०/आ०	26.80%
4(ख)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम संख्या- 4(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि०/आ०	17.48%

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव